उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्याः ५८१ / XXIV–4 / 2022–01(01)2016
देहरादून दिनांक 13 अप्रैल, 2022

अधिसूचना संख्या–300 / XXIV–4 / 2022–01(01) / 2016 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (संशोधन) विनियम, 2022" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वालॅ मण्डल, पौड़ी।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की 150 प्रतियॉ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्याः 300 / XXIV–4 / 2022–01(01)2016
देहरादूनः दिनांक 11 अप्रैल, 2022

अधिसूचना / आदेश

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेत्तर परिष्कार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् परिष्कार विनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय–तेरह के विनियम 4 का परिष्कार

2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009, (जिसे आगे मूल विनियम कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान विनियम 4 में स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्,

स्तम्भ – 1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ – 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
<u>हाईस्कूल परीक्षा</u> <u>(कक्षा–9 तथा 10 का पाठ्यक्रम)</u>	<u>हाईस्कूल परीक्षा</u> <u>(कक्षा–9 तथा 10 का पाठ्यक्रम)</u>
4– मस्तिष्क स्तम्भ से पीड़ित (स्पेस्टिक), दृष्टिहीन (नेत्रहीन), शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक बच्चों के लिए छूटः–	4– "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) में उल्लिखित दिव्यांगताओं यथा अन्धापन, कम–दृष्टि, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन), लोकोमोटर दिव्यांगता, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियॉं, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मल्टीपल स्केलेरोसिस, भाषण और भाषा दिव्यांगता, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहरापन सहित कई दिव्यांगता, एसिड अटैक पीड़ित पार्किंसंस रोग से पीड़ित

बच्चों के लिए छूट:–

(क) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बैठने वाला पूर्ण नेत्रहीन, शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक छात्र श्रुतलेखक की सेवाएं ले सकता है और उसे प्रश्न पत्र के प्रत्येक घण्टे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

(क) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बैठने वाले ऐसे विद्यार्थी जो उपरोक्त वर्णित दिव्यांगताओं से पीड़ित हों, को प्रश्नपत्र के प्रत्येक घण्टे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जा सकता है एवं ऐसे समस्त छात्र श्रुतलेखक की सेवाएं ले सकते हैं।

(ख) डिस्लेक्सिक, स्पैस्टिक तथा दृष्टि एवं श्रवण दोष वाले छात्र/छात्राओं के पास दो भाषाओं के एवज में एक अनिवार्य भाषा में अध्ययन करने का विकल्प है। यह भाषा परिषद् द्वारा निर्धारित त्रिभाषा सूत्र की मूल भावना के अनुकूल होनी चाहिए। एक भाषा के अलावा निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय लिये जा सकते हैं:–

गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा (विहित पाठ्यक्रम के अनुसार कोई एक भाषा), गृह विज्ञान, पेंटिग, संगीत [हिन्दुस्तानी म्यूजिक वोकल, हिन्दुस्तानी म्यूजिक मेलोडिक इन्स्ट्रुमैण्टस् (HINDUSTANI MUSIC VOCAL & HINDUSTANI MELODIC INSTRUMENTS)]

(ख) उपरोक्त वर्णित दिव्यांगताओं से पीड़ित छात्र/छात्राओं के पास दो भाषाओं के एवज में एक अनिवार्य भाषा में अध्ययन करने का विकल्प है। यह भाषा परिषद् द्वारा निर्धारित त्रिभाषा सूत्र की मूल भावना के अनुकूल होनी चाहिए। एक भाषा के अलावा निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय लिये जा सकते हैं:–

गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा (विहित पाठ्यक्रम के अनुसार कोई एक भाषा), गृह विज्ञान, पेंटिग, संगीत [हिन्दुस्तानी म्यूजिक वोकल, हिन्दुस्तानी म्यूजिक मेलोडिक इन्स्ट्रुमैण्ट्स (HINDUSTANI MUSIC VOCAL & HINDUSTANI MELODIC INSTRUMENTS)]

(ग) ऐसे छात्र/छात्राओं को अपनी विकलांगता के समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र अग्रसारण अधिकारी को प्रस्तुत करना है। यदि अग्रसारण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसी विकलांगता से पूर्णतया संतुष्ट हो, छूट प्रदान की जायेगी।

(ग) यथावत्।

विनियम 9 का संशोधन

3. मूल विनियम में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान विनियम 9 के शीर्षक "श्रुतलेखक की नियुक्ति" के स्थान पर निम्नलिखित व्यवस्था रख दी जायेगी, अर्थात्–

श्रुतलेखक की नियुक्ति	श्रुतलेखक की नियुक्ति
विशेष परिस्थितियों में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने के उपरान्त ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रुतलेखक की नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।	विशेष परिस्थितियों में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने के उपरान्त ही मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रुतलेखक की नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।
श्रुतलेखक निम्नलिखित परिस्थितियों में लिए जा सकते हैं:–	श्रुतलेखक निम्नलिखित परिस्थितियों में लिए जा सकते हैं:–
1.(क)किसी दृष्टिहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग अथवा मस्तिष्क स्तम्भ (स्पेस्टिक) परीक्षार्थियों के लिए, जो अपनी विकलांगता के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।	1. **(क)** विनियम 4 में वर्णित दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए, जो अपनी दिव्यांगता के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।
(ख) परीक्षार्थियों के अचानक बीमार होने के कारण, लिखने में असमर्थ होने पर, जिसे चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो।	**(ख)** यथावत्।
(ग) परीक्षार्थी के दुर्घटना होने की स्थिति में परीक्षा में उसके लिखने में असमर्थ होने पर, जिसे चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो।	**(ग)** यथावत्।
2. श्रुतलेखक को उस कक्षा से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए, जिसके लिए परीक्षा दे रहा है, तथा उसके प्राप्तांक पिछली परीक्षा में 45 प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक न हों। अथवा श्रुतलेखक दो कक्षा नीचे का विद्यार्थी हो।	2. श्रुतलेखक को उस कक्षा से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए, जिसके लिए परीक्षा दे रहा है।
3. श्रुतलेखक–आवेदन पत्र परीक्षा केन्द्र अधीक्षक को प्रस्तुत किया जायेगा। श्रुतलेखक का चयन होने के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन होने पर यह आवेदन पत्र परीक्षा समाप्ति पर परिषद् को प्रेषित होगा।	3. यथावत्।
4. जिस परीक्षार्थी के लिए श्रुतलेखक की अनुमति दी जाती है उसके लिए केन्द्र व्यवस्थापक अलग कमरे व निरीक्षक की व्यवस्था करेगा।	4. यथावत्।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)

सचिव